

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - ALMORA (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)
act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ~~SK Nitin Singh Bhadani~~, deputy commissioner, Almora on dated 27-07-18 at time 8.00 PM at in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring 4.104 hect for the Construction of Rathkhal-Khaliyu Motor Road (8.300 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikeiasin sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; अल्मोड़ाDated: 27-7-2018

(JAGMOHAN SINGH)

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Almora

No---

Dated-27-7-201

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.104 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Ratkhal - Khaliyu Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of Puriachora, Seema Ristana And Boongidhar villages in Bhikyesain tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.104 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Signature)
C. JAGMOHAN SINGH
(Full name and official seal of the District Collector)

(Signature)
जिला अधीक्षक
जिला अधिकारी

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यू (सीमा -रिष्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिक्यासैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.090 है० आरक्षित वन भूमि 4.014 है० सिविल सोयम भूमि कुल 4.104 है० वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील भिक्यासैण को दिनांक 21.6.18 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री गौरव चटवाल उपजिलाधिकारी भिक्यासैण
2. श्री चन्द्रनरेश्वर गोस्वामी प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।
3. श्री गणेश सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट।
4. श्री देवीदत्त शर्मा वी०टी०सी० क्षेत्र सदस्य-क्षेत्र पंचायत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों की अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यू (सीमा रिष्टना) मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.104 है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तुल्यबन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यू (सीमा -रिष्टना) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.104 है० वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

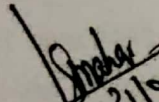
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

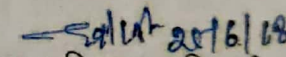
उपजिलाधिकारी
भिक्यासैण।

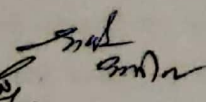
उपजिलाधिकारी
भिक्यासैण।

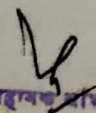
प्रमाण-पत्र

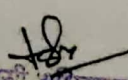
प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 अन्तर्गत में आदिकालीन जनजाति समूह निवास नहीं करते हैं, और न भूमि प्रभावित हो रही है।


21/06/18
सहायक सहायक सहायक अधिकारी
अधिकारी सल्ट (अल्मोड़ा)

✓ 
21/06/18
खण्ड विकास अधिकारी
सल्ट (अल्मोड़ा)


21/06/18
सहायक सहायक अधिकारी
अधिकारी सल्ट (अल्मोड़ा)


सहायक सहायक अधिकारी
अधिकारी सल्ट (अल्मोड़ा)


अधिसूचना अधिकारी
अधिकारी सल्ट (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:- 8.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पुरियाचौरा।
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिस्टना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.090 है० आरक्षित वन भूमि, 4.014 है० सिविल सोयम भूमि,) अर्थात् कुल 4.104 है० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - पुरियाचौरा द्वारा दिनांक 25/05/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.104 है०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / *[Signature]*
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित
वि० स० सल्ट (अल्मोड़ा)

[Signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत/पुरियाचौरा
वि० स० सल्ट (अल्मोड़ा)
मुहर सहित

दिनांक 25/5 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुरियाचौरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सम्भरदत्त प्रहवाल	MW
2.	धुवनचन्द	धुवनचन्द
3.	शेखरचन्द	शेखरचन्द
4.	नन्दकिशोर	NK
5.	मनोमदत	Manohar
6.	तारादत्त	Taradatt
7.	केलाप्रचन्द	केलाप्रचन्द
8.	दयाकुमार	दयाकुमार
9.	हजरी देवी	हजरी देवी
10.	गंगाकिशोर	गंगाकिशोर
11.	राधा देवी	राधा देवी
12.	हीरावल्लभ	हीरावल्लभ
13.	खीमानन्द	खीमानन्द
14.	किशोरचन्द	किशोरचन्द
15.	भगम देवी	भगम देवी
16.	भवानी देवी	भवानी देवी
17.	मोपावकिशोर	मोपावकिशोर
18.	शांति देवी	शांति देवी

Ladhi
प्रधान

ग्राम पंचायत पुरिया चौडा
वि० सं० सल्ट (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:- 8.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सीमा-रिस्टना।

तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा-रिस्टना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.090 है० आरक्षित वन भूमि, 4.014 है० सिविल सोयम भूमि,) अर्थात् कुल 4.104 है० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत -सीमा-रिस्टना द्वारा दिनांक 25/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.104 है०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- सुतोरो
ग्राम सचिव/अधिकारी
मुहर सहित
वि०स० सल्ट (अल्मोड़ा)

Bimla
ह०/-
ग्राम प्रधान/सचिव
मुहर सहित

दिनांक 25/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सीमारिहना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१.	दीपक रावत मोतीदास चन्द चम्पा देवी मालती देवी रजनी देवी दिनेश चन्द	दीपक मोतीदास चम्पा देवी मालती देवी रजनी देवी दिनेश चन्द
७	मन मोहन सिंह बेगारी	मन मोहन
८	देव सिंह मन्नीदास शर्मा जीविन्द ठाकुर हनुमान् उमेश रावत अशोक रावत पुष्पा देवी माधवदास देव मन सिंह देव उदे सिंह मन सिंह देव चन्दन सिंह मोहन चन्द शोभा देव मालती देवी विजय सिंह	देव सिंह मन्नीदास जीविन्द हनुमान् अशोक पुष्पा देवी माधवदास मन सिंह मन सिंह मोहन चन्द शोभा देव मालती देवी विजय सिंह
	लक्ष्मण सिंह पुस्तकालय	लक्ष्मण सिंह

उमेश रावत
ग्राम सभा की सेवा निवृत्त
दिनांक 25/5/18 (वर्षा)

के. ज. सि.
लक्ष्मण
मालती
नन्दी

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:- 8.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बूँगीधार।
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

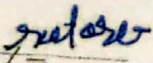
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा-रिस्टना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है० आरक्षित वन भूमि, 4.014 है० सिविल सोयम भूमि,) अर्थात् कुल 4.104 है० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत -बूँगीधार द्वारा दिनांक 25/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.104 है०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/ 
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित
लो०नि०वि० सल्ट, (अल्मोड़ा)

हो/ 
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

$$\frac{5}{18}$$

बूंगीघार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्रीधर लखन	श्रीधर लखन
2-	पीलाभरदर	पीलाभरदर
3-	दुर्गासिंह	दुर्गासिंह
4-	प्रह्लादसिंह	प्रह्लादसिंह
5-	विजयसिंह	विजयसिंह
6-	विरेंद्रसिंह	विरेंद्र
7-	चन्दनसिंह केमारी	Chander
8-	अमरसिंह	Amar
9-	सुजयसिंह	सुजय
10	पंकज	पंकज

५०/-
प्राम प्रधान वं नीषा
५० ५० सल (अन्योन)